न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 08/2023 (उदयपुर डिक्री)

1. उदा उर्फ उदयलाल पिता माना जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. पप्पू उर्फ पप्पूलाल पिता माना जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती लेहरीबाई पत्नी स्वर्गीय रूपा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती वेलकी पुत्री स्वर्गीय रूपा जी पत्नी शिवलाल जी मीणा, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. शंकर पिता स्वर्गीय रूपा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती लच्छु पुत्री स्वर्गीय रूपा जी पत्नी रोशन जी मीणा, निवासी कियावतो का फला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. इन्द्र पिता स्वर्गीय रूपा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती केसी पुत्री स्वर्गीय रूपा जी पत्नी रामलाल जी मीणा, निवासी रामज, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. सुश्री श्रीमती उदी पुत्री स्वर्गीय रूपा जी मीणा नाबालिग बविलायत माता श्रीमती लेहरीबाई पत्नी स्वर्गीय रूपा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) **मृतक**
8. रामा पिता माना जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) **मृतक**
9. श्रीमती जीवा बाई पत्नी माना जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) **मृतक**
10. बाबरू पिता लिम्बा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. अमृतलाल पिता हेमा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:42 IST
Reason: SelfAttested

12. फतहलाल पिता हेमा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
13. वाला पिता हेमा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
14. हीरकी पुत्री हेमा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
15. भगलीबाई पुत्री हेमा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
16. पप्पूड़ी पुत्री हेमा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
17. श्रीमती गंगाबाई पत्नी हेमा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) **मृतक**
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

(2) <u>प्रकरण संख्या 10/2023 (उदयपुर डिक्री)</u>

1. उदा उर्फ उदयलाल पिता माना जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. पप्पू उर्फ पप्पूलाल पिता माना जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती लेहरीबाई पत्नी स्वर्गीय रूपा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती वेलकी पुत्री स्वर्गीय रूपा जी पत्नी शिवलाल जी मीणा, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. शंकर पिता स्वर्गीय रूपा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती लच्छु पुत्री स्वर्गीय रूपा जी पत्नी रोशन जी मीणा, निवासी कियावतो का फला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. इन्द्र पिता स्वर्गीय रूपा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती केसी पुत्री स्वर्गीय रूपा जी पत्नी रामलाल जी मीणा, निवासी रामज, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:42 IST
Reason: SelfAttested

7. सुश्री श्रीमती उदी पुत्री स्वर्गीय रूपा जी मीणा नाबालिग बविलायत माता श्रीमती लेहरीबाई पत्नी स्वर्गीय रूपा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) **मृतक**
8. रामा पिता माना जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) **मृतक**
9. श्रीमती जीवा बाई पत्नी माना जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) **मृतक**
10. बाबरू पिता लिम्बा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. अमृतलाल पिता हेमा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. फतहलाल पिता हेमा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
13. वाला पिता हेमा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
14. हीरकी पुत्री हेमा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
15. भगलीबाई पुत्री हेमा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
16. पप्पूड़ी पुत्री हेमा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
17. श्रीमती गंगाबाई पत्नी हेमा जी मीणा, निवासी नवलसिंह जी का गुड़ा, कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) **मृतक**
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 रा०का०अ० 1955
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड, गिर्वा प्रारम्भिक
डिक्री दिनांक 30.05.2017 व अंतिम डिक्री
दिनांक 14.06.2017 प्रकरण सं. 83/2016

———::———

उपस्थित :— 1— श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक अपीलान्टगण

2— श्री हिमाशु सोलंकी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 3, 5

3— श्री कमलेश चौहान [illegible] अभिभाषक रे.सं. 18

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:42 IST
Reason: SelfAttested

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 20—06—2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नवलसिंह का गुड़ा में परिशिष्ट ''अ'' में अंकित आराजी नंबर 177, 178, 208, 210, 211, 215, 217, 223, 224, 225 कुल किता 10 रकबा 0.8100 हैक्टर एवं परिशिष्ट ''ब'' में अंकित आराजी नंबर 173, 174, 176, 206, 209, 228, 279/175, 280/177 कुल किता 8 रकबा 0.9350 हैक्टर भूमि स्थित है। उपरोक्त परिशिष्ट ''अ'' में अंकित आराजियात में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ब'' में अंकित आराजियात में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 12 का 2/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में है एवं इसी अनुसार पक्षकारान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने से पक्षकारों में विवाद होता रहता है, जिससे मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 30—05—2017 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 14—06—2017 को अंतिम डिक्री जारी की गयी।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30—05—2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा अपील संख्या 08/2023 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 14—06—2017 के विरूद्ध अपील संख्या 10/2023 इस न्यायालय में दिनांक 24—01—2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3, 5 की [illegible] अधिवक्ता श्री हिमांशु सोलंकी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 की [illegible] राजकीय अभिभाषक श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:42 IST
Reason: SelfAttested

कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7, 8, 9 व 17 की काफी समय पूर्व मृत्यु हो जाने से उनके नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किया गया है। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 83/2016 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध होने तथा पक्षकारान समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 जब अपीलान्ट के हिस्से की भूमि पर दिनांक 25–12–2022 को आये एवं जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तब अपीलान्टगण ने पटवारी हल्का कुराबड़ के दिनांक 27–12–2022 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की, तो उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपीलें प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए दोनों अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

हमने उक्त प्रार्थना पत्रों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने तमाम निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां तक संभव हो प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि उक्त प्रकरण में प्रथम पेशी दिनांक 11–07–2016 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से अग्रिम पेशी दिनांक 29–08–2016 दी गयी, जिस दिन प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र मेनारिया ने अपना वकालत पत्र पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पप्पू की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर शेष प्रतिवादीगणों की तामील हेतु आगामी पेशी दिनांक 10–10–2016

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:42 IST
Reason: SelfAttested

नियत की गयी। दिनांक 10—10—2016, 13—12—2016, 13—02—2017, 06—04—2017 एवं दिनांक 22—05—2017 को पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने से पेशियां बदली गयी एवं दिनांक 30—05—2017 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी एवं अग्रिम कोई पेशी दिये बिना ही दिनांक 14—06—2017 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अंतिम डिक्री जारी कर दी गयी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत हैं। अतः दोनों अपीलें खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11—07—2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से अग्रिम पेशी दिनांक 29—08—2016 दी गयी। दिनांक 29—08—2016 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र मेनारिया ने अपना वकालत पत्र पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पप्पू की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर शेष प्रतिवादीगणों की तामिल हेतु प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 10—10—2016 नियत की गयी। दिनांक 10—10—2016, 13—12—2016, 13—02—2017 को पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 06—04—2017 नियत की गयी। दिनांक 06—04—2017 को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहे जाने पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 22—05—2017 नियत की गयी एवं दिनांक 22—05—2017 प्रकरण दिनांक 30—05—2017 को राजस्व कैम्प में रखा गया एवं दिनांक 30—05—2017 को बिना शेष प्रतिवादीगणों की तामिल हुए एवं प्रार्थना पत्र का जवाब लिये प्रकरण में

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

जहां तक अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील का प्रश्न है, दिनांक 30–05–2017 प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के बाद बिना कोई अग्रिम पेशी दिये एवं बिना पक्षकारान को सूचित किये दिनांक 14–06–2017 को मात्र वादी संख्या 1 की उपस्थिति में अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

उपरोक्तानुसार उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30–05–2017 एवं अंतिम डिक्री 14–06–2017 अपास्त की जाती हैं तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी करें तत्पश्चात् पक्षकारान की उपस्थित स्वयं तहसीलदार मौके पर फर्द बंटवारा तैयार कर विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्तावद तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 06–08–2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 20–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:42 IST
Reason: SelfAttested